फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला–श्रीगंगानगर

महेन्द्रसिंह **बनाम** राजस्थान सरकार।

किस्म मुकदमा:–धारा 136 भूराजस्व अधिनियम   प्रकरण संख्या:– 21/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.08.2020	वकील प्रार्थी ने प्रा.पत्र को दोहराते हुए बताया कि जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 वाके चक 7 डी.बी.एन. के खाता सं. 43/39 प.नं. 59/275 (6) के किला सं. 16 ता 25 में 2.530 है0 व प.नं. 59/276 (11) के किला नं. 1 ता 5 में 1.265 है0 कुल 3.795 है0 कमाण्ड मय खाला भूमि प्रार्थी के पिता मलसिंह पुत्र चैनसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। प्रार्थी के पिता के फौत हो जाने के उपरान्त विरास्तन इन्तकाल राजस्व रिकार्ड में वारिसान के नाम दर्ज हो चुका है, जिसमें लिपिकीय त्रुटि से पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी का नाम महेन्द्रसिंह की जगह महेन्द्र कौर दर्ज कर दिया गया। विरास्तन नामान्तरकण सं. 254 दर्ज करते समय प्रार्थी द्वारा वारिस प्रमाण पत्र ग्रा.पं. सरदारपुरा बीका के सरपंच द्वारा दिनांक 17.07.2016 को जारीशुदा है जिसमें प्रार्थी का नाम महेन्द्रसिंह सही है। प्रार्थी के पिता मलसिंह के वारिसान में महेन्द्रकौर के नाम की कोई पुत्री पैदा ही नही हुई है। केवल लिपिकीय त्रुटि की वजह से महेन्द्रसिंह की जगह महेन्द्रकौर दर्ज कर दिया गया। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में भी महेन्द्र कौर दर्ज हो गया। अतः प्रा.पत्र स्वीकार कर वाके चक 7 डी.बी.एन. के खाता सं. 43/39 प.नं. 59/275 (6) के किला सं. 16 ता 25 में 2.530 है0 व प.नं. 59/276 (11) के किला नं. 1 ता 5 में 1.265 है0 कुल 3.795 है0 कमाण्ड मय खाला भूमि की वर्तमान जमाबंदी में महेन्द्रकोर के स्थान पर महेन्द्रसिंह अंकित किया जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार जमाबंदी सम्वत् 2070 ता 73 का खाता सं. 43 का प.नं. 59/275 की 2.530 है0 व 59/276 की 1.265 है0 कुल 3.795 है0 नहरी भूमि गुरदेवसिंह कालासिंह गुड्डी जेतकौर महेन्द्रकौर तेजकौर पि. मलसिंह ब.हि.ब. 6/7 हि0 गुरमीतकौर ढाणासिंह कुलदीपसिंह जसवीरसिंह पुत्र पुत्री मिठूसिंह ब.हि.ब. 1/7 हि. बिन्द्रसिंह बग्गासिंह पुत्र गुड्डी देवी उर्फ सुखदेवकौर पत्नी हरबंसिह 1/7 हि. जा. मजहबी सा. भादवावाली ढ़ाणी खातेदार दर्ज है। मलसिंह के फौत हो जाने के बाद विरास्तन का नामा.सं. 254 में गलती से महेन्द्रसिंह के स्थान पर महेन्द्रकौर दर्ज हो गया। अतः महेन्द्रसिंह का नाम महेन्द्रकौर के स्थान पर महेन्द्रसिंह शुद्ध किया जाना उचित है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व रिपोर्ट तहसीलदार का अध्ययन किया गया। प्रार्थी ने जमाबन्दी, शपथ पत्र, आधार कार्ड, वारिस प्रमाण पत्र व इंतकाल की प्रति प्रस्तुत की है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण–पत्र व अन्य दस्तावेज अनुसार प्रार्थी का वास्तविक नाम महेन्द्रसिंह है। जिसे दुरूस्त किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाता है तथा चक 7 डी.बी.एन. की चालू जमाबन्दी 2070 ता 73 के खाता संख्या 43/39 प. नं. 59/275(6) कि.नं. 16 ता 25 में 2.530 है0 व प.नं. 59/276 (11) कि.नं. 1 ता 5 में 1.265 है0 कुल 3.795 है0 कमाण्ड मय खाला भूमि की वर्तमान जमाबंदी में महेन्द्रकौर के स्थान पर महेन्द्रसिंह का नाम अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। जमाबन्दी के शेष समस्त अंकन पूर्ववत रहेंगे। तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम तहरीर जारी हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Manoj Kumar Meena Date: 2020.10.09 17:09:46 IST Reason: SelfAttested (मनोज कुमार मीणा) उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ	